<u>श्री बाबूराम, विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 15.02.2024 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट न0 1 मुजफ्फरनगर के न्यायालय एवं कार्यालय की वर्ष 2023–2024 की वार्षिक निरीक्षण टिप्पणीः–</u>

मेरे द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट न0 1 मुजफफरनगर के न्यायालय एवं कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश 12.12.2023 के अनुपालन में दिनांक 15.02.2024 को किया गया। इससे पूर्व इस न्यायालय एवं कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 01.02.2023 एवं 02.02.2023 को किया गया था। उपरोक्त निरीक्षण टिप्पणी में दर्शायी गयी त्रुटियों को सभी सम्बन्धित द्वारा दूर कर दिया गया है। उक्त निरीक्षण टिप्पणी को प्रबन्धक/प्रस्तुतकर्ता द्वारा सम्बन्धित गार्ड फाईल में सूचीबद्ध कर उचित प्रकार से चस्पा किया गया है।

1. इस न्यायालय में दिनांक 01.11.2022 से दिनांक 31.10.2023 तक श्री प्रशान्त कुमार सिंह पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

2. प्रपत्र संख्या–1 के अवलोकन से विदित होता है कि इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 31.12.2022 को समाप्त होने वाले त्रैमास का त्रैमासिक निरीक्षण पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 03.12.2022 को किया गया था जो अनुपालन के उपरान्त मेरे कार्यालय को दिनांक 03.01.2023 को प्रेषित किया गया तथा 31.03.2023 को समाप्त होने वाले त्रैमास का त्रैमासिक निरीक्षण पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 25.03.2023 को किया गया जो अनुपालन के उपरान्त मेरे कार्यालय को दिनांक 26.04.2023 को प्रेषित किया गया। दिनांक 30.06.2023 को समाप्त होने वाले त्रैमास का त्रैमासिक निरीक्षण पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 26.6.2023 को किया गया जो अनुपालन के उपरान्त मेरे कार्यालय को दिनांक 05.08.2023 को प्रेषित किया गया तथा दिनांक 30.9.2023 को समाप्त होने वाले त्रैमास का त्रैमासिक निरीक्षण पीठासीन अधिकारी द्वारा

29.09.2023 को किया गया जो अनुपालन के उपरान्त मेरे कार्यालय को दिनांक 27.10.2023 को प्रेषित किया गया।

निरीक्षण के दौरान मैंने पीठासीन अधिकारी द्वारा किये गये त्रैमासिक निरीक्षण पत्रों का अवलोकन किया उक्त के अवलोकन के उपरान्त मैंने पाया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण विस्तृत एवं प्रभावी है।

प्रपत्र संख्या –1 के अवलोकन से विदित होता है कि इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया गये सभी त्रैमासिक निरीक्षण पत्र समय सीमा के अन्दर मेरे कार्यालय को प्रेषित किया गया है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सी0एल0 नम्बर 49 एच–एडमिन (डी) दिनांकित 25.4.1979 में दिये गये सभी निर्देशो का अनुपालन किया गया है। फिर भी मुन्सरिम/रीडर को निर्देशित किया जाता है कि वह भविष्य में समय सीमा के अन्दर ही त्रैमासिक निरीक्षण माननीय जनपद न्यायाधीश के कार्यालय को प्रेषित किया करें।

पिछले वर्ष की वार्षिक निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन कर अनुपालन आख्या प्रेषित कर दी गयी है।

03. निरीक्षण वर्ष में निम्नलिखित कर्मचारीगण कार्यरत रहे। जैसा कि प्रारूप संख्या 1/1 में दर्शाया गया है।

1. श्री परमवीर सिंह,	मुन्सरिम/रीडर	दि0 16.12.2022 से
2. श्री गौरव कुमार	आशुलिपिक	दि0 08.12.2023 से
3. श्री अनुज सिंह यादव	लिपिक	दि0 07.04.2023 से
4. श्री अरूण कुमार	लिपिक	दि0 15.12.2022 से
5. श्री संजय मिश्रा	दफ्तर चपरासी	दि0 08.07.2022 से

इस न्यायालय के कार्यालय में निरीक्षण के समय दो लिपिक कार्यरत है। लिपिकगण के मध्य कार्य विभाजन इस प्रकार से किया गया है।

श्री अरूण कुमार जमानत, रिमांड एवं चालान से संबंधित कार्य देखते हैं एवं श्री अनुज कुमार यादव प्रशासनिक कार्य देखते हैं तथा समस्त प्रकार की पत्रावलियों रख–रखाब दोनों लिपिकगण द्वारा संपादित किया जाता है।

4. यह न्यायालय प्राचीन सत्र न्यायालय भवन के भू-तल पर स्थित है। न्यायालय कक्ष एवं विश्राम कक्ष एक ही स्थान पर स्थित है। न्यायालय कक्ष एवं विश्राम कक्ष मे पर्याप्त स्थान है। न्यायालय कक्ष में अधिवक्तागण के बैठने हेतु पर्याप्त एवं उचित व्यवस्था है। न्यायालय कक्ष एवं विश्राम कक्ष में पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर उपलब्ध है व प्रकाश की उचित व्यवस्था है।

इस न्यायालय का कार्यालय प्राचीन सत्र त्वरित न्यायालय भवन के भू-तल पर स्थित है। कार्यालय कक्ष में कर्मचारीगण के बैठने हेतु पर्याप्त स्थान है। कार्यालय में अधिवक्तागण के बैठने हेतु पर्याप्त एवं उचित व्यवस्था है। पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर उपलब्ध है व प्रकाश की भी उचित व्यवस्था है।

5. न्यायालय कक्ष एवं विश्राम कक्ष में पर्याप्त मात्रा व सही दशा में फर्नीचर उपलब्ध होना बताया गया है। कार्यालय कक्ष में कर्मचारीगण के बैठने हेतु पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर उपलब्ध है परन्तु पत्रावलियों की संख्या अत्यधिक होने के कारण कुछ पत्रावलियां जमीन पर रखी पायी गयी। लिपिकगण ने पूछने पर बताया कि अलमारियों की कमी के कारण पत्रावलियाँ जमीन पर रखी गयी हैं।

लिपिकगण इस सम्बन्ध में अपने पीठासीन अधिकारी के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही करें जिससे शीघ्र ही इस समस्या का निवारण हो सके।

06. निरीक्षण के दौरान मुझे पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इस न्यायालय को निम्न लिखित क्षेत्राधिकार प्राप्त है:-

इस न्यायालय को थाना नई मण्डी व छपार के पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद (धारा 302,304,304बी,306,396 भारतीय दण्ड संहिता, को छोड़कर) की सुनवाई व निस्तारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा 3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 व खाद्य सुरक्षा अधि0 व गौवध निवारण अधिनियम एवं वन अधिनियम एवं वन्य जीव जन्तु अधिनियम से सम्बन्धित पूरे जनपद के वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी इस न्यायालय को प्राप्त है। उपरोक्त थानों से सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध चलने वाले वाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर के न्यायालय मे प्राप्त होते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आर्थिक अपराध से सम्बन्धित समस्त वाद के श्रवण का क्षेत्राधिकार

इस न्यायालय को प्राप्त है।

7. इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को संक्षिप्त विचारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

8ए. इस निरीक्षण टिप्पणी के साथ संलग्न प्रपत्र संख्या 2 भाग 1 के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 01.11.2022 को कुल 12342 पुलिस चालानी वाद लम्बित है जिसमें इंक्वायरी वाद 168 वारन्ट वाद 7300 समन वाद 2136 समरी वाद 1481 व अन्तिम आख्या 1257 लम्बित है जैसा कि प्रपत्र सं0 2 भाग 1 में दर्शाया गया है।

प्रपत्र सं0 2 के अवलोकन से विदित होता है कि इस न्यायालय में दिनांक 01.11.2022 को 7113 परिवाद लम्बित हैं जिनमे वारन्ट वाद 4513 समन वाद 1687 समरी वाद 913 वाद दर्शाये गये है।

इस न्यायालय में दिनांक 01.11.2022 को इस न्यायालय मे पुलिस चालानी वाद 12342 तथा परिवाद 7113 कुल 19455 वाद लम्बित होना दर्शाया गया है।

इस न्यायालय में दिनांक 01.11.2023 को कुल 11536 पुलिस चालानी वाद लम्बित है जिसमें इंक्वायरी वाद 156 वारन्ट वाद 7270 समन वाद 2054 समरी वाद 1155 व अन्तिम आख्या 901 लम्बित है जैसा कि प्रपत्र सं0 2 में दर्शाया गया है।

प्रपत्र सं0 2 के अवलोकन से विदित होता है कि इस न्यायालय में दिनांक 1.11.2023 को 6697 परिवाद लम्बित हैं जिनमे वारन्ट वाद 4805 समन वाद 1656 समरी वाद 236 दर्शाये गये है।

उक्त विवरण से विदित होता है कि निरीक्षण वर्ष में इस न्यायालय में पुलिस चालानी वादों में कमी हुई है एवं परिवाद से सम्बन्धित वादों में पिछले निरीक्षण वर्ष की तुलना में भी कमी हुई है।

Sir, noted.

प्रपत्र सं0 2 के अवलोकन से विदित होता है कि इस न्यायालय में कुल 18233 वाद लम्बित है। पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह विधिनुसार पुराने वादों का निस्तारण शीघ्र अतिशीघ्र करने का प्रयास करें तथा चालानी वादों का निस्तारण अधिक मात्रा मे करके उनकी संख्या कम करने का प्रयास करें।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट नं0 1,
मुजफ्फरनगर

8बी. प्रपत्र सं0 2 मे इस न्यायालय में लम्बित दस पुराने वादों की संख्या तथा संस्थित दिनांक निम्न प्रकार है :–

वाद संख्या 430 सन् 2013 (17.04.91),वाद संख्या 1772 सन् 2011 (12.09.91), वाद संख्या 1262 सन् 2011(23.09.91),वाद संख्या 1202 सन् 2011 (01.10.91) वाद संख्या 1264 सन् 2011 (01.10.91), वाद संख्या 2561 सन् 2016 (27.11.92), वाद संख्या 2674 सन् 2016(10.02.94), वाद संख्या 2855 सन् 2009 (22.06.94), वाद संख्या 2852 सन् 2009 (01.06.98) वाद संख्या 1644 सन् 2016 (06.08.98)

Sin. noted.

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट नं0 1,
मुजफ्फरनगर

पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह इन पुराने वादों को प्राथमिकता के आधार पर विधिनुसार शीघ्र अति शीघ्र निस्तारित करने का प्रयास करें तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले स्थगन प्रार्थना पत्रों को अनावश्यक रूप से स्वीकार न किया करे।

8सी. इस बिन्दू से सम्बन्धित विवरण बिन्दू संख्या 08ए में दिया जा चुका है।

प्रपत्र सं0 2 भाग 1 मे दिनांक 01.11.22 को लम्बित वादों को उनके संस्थित होने के प्रत्येक वर्ष के अनुसार दर्शाया गया है। जिसमे एक वर्ष से पुराने वाद अधिक संख्या मे है।

Sin. noted.

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट नं0 1,
मुजफ्फरनगर

पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे एक वर्ष से अधिक पुराने वादों को शीघ्र अति शीघ्र निस्तारित करने का प्रयास करें।

प्रपत्र संख्या –11 में उन वादों की सूची दर्शायी गयी है जिन वादों की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशानुसार स्थगित चल रही है।

लिपिक उन सभी पत्रावलियों को जिनमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से स्थगन हुये 06 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, उन्हें पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय के अद्यतन सरकुलर के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

लिपिक को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह उन पत्रावलियों में जिनमें माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन हुये 06 माह से कम का समय हुआ है, उनकी वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में अद्यतन सरकुलर के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर जाकर सर्च/जांच करें तथा यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उन पत्रावलियों में कोई आदेश पारित कर दिया गया हो तो उसके अनुसार उन पत्रावलियों को पीठासीन अधिकारी के समक्ष रखकर अग्रेतर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करायें।

8डी. प्रपत्र सं0 2 बी में दिनांक 01.11.2023 को इस न्यायालय मे विभिन्न प्रकार के विशेष अधिनियम से सम्बन्धित वादों का विवरण दर्शाया गया है। जिसमें कुल वाद 4838 वाद दर्शित किये गये है। वाद एक वर्ष से अधिक पुराने वाद 4785 है तथा 1667 वाद छः माह से अधिक पुराने है।

Sin. noted.

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट नं0 1,
मुजफ्फरनगर

पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह एक वर्ष से अधिक पुराने वादों को शीघ्र अति शीघ्र निस्तारित करने का प्रयास करें।

9ए. इस न्यायालय में दिनांक 01.11.22 से दिनांक 31.10.23 तक पीठासीन अधिकारी द्वारा कुल 71 पुलिस चालानी वाद तथा 14 परिवाद का निस्तारण पूर्ण सुनवाई के उपरान्त किया गया।

न्यायालय में लम्बित वादों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए निस्तारित वादों की संख्या कम है। पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि निरीक्षण वर्ष में अभियुक्तगण व साक्षियों के उपस्थित न होने एंव अधिवक्तागण के कार्य से विरत रहने के कारण न्यायालय कार्य बाधित रहा जिस कारण अधिक मात्रा में वादों का निस्तारण नहीं हो सका।

Sin. noted.

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट नं0 1,
मुजफ्फरनगर

पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे विशेष रूचि लेकर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

09बी. संघर्षपूर्वक निस्तारित वादों का वर्षानुसार विवरण, विवरण पत्र संख्या 04 में दिया गया है।

उक्त विवरण से विदित होता है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा पुराने वादों का निस्तारण करने का प्रयास किया गया है फिर भी पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह विशेष रूचि लेकर पुराने वादों को वरीयता के आधार पर शीघ्र अति शीघ्र विधिनुसार निस्तारित करने का प्रयास करें।

Sir, noted.
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट नं0 1,
मुजफ्फरनगर

मानीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के DO No. C-148/CF(B)/2022 दिनांकित मार्च 26, 2022 में दिये गये निर्देशानुसार एक्शन प्लान के अन्तर्गत 35 प्राचीनतम दाण्डिक वाद निस्तारित किये जाने थे। मुन्सरिम/रीडर व लिपिक ने बातया कि निरीक्षण के दिनांक तक पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राचीनतम 22 वाद निस्तारित किये गये हैं। पीठासीन अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के एक्शनप्लान में दिये गये निर्देशानुसार प्राचीनतम वादों के शीघ्रता शीघ्र से निस्तारित करना सुनिश्चत करें।

Sir, noted.
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट नं0 1,
मुजफ्फरनगर

10. इस बिन्दू से सम्बन्धित विवरण प्रपत्र संख्या 02 भाग डी में दर्शाया गया है।

इस न्यायालय मे दिनांक 01.11.2021 को 18397 वाद विभिन्न अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित थे वर्ष के दौरान 7513 वाद संस्थित किये गये। जिनमें से कुल 6455 वाद निस्तारित किये गये। तथा दिनांक 31.10.2022 को 19455 वाद निस्तारण हेतु अवशेष रहे।

इस न्यायालय मे दिनांक 01.11.2022 को 19455 वाद लम्बित थे, दिनांक 01.11.2022 से दिनांक 31.10.2023 तक 6918 वाद संस्थित हुए। इस प्रकार कुल 26373 वाद निस्तारण हेतु अवशेष रहे। इस प्रकार कुल 8140 वाद निस्तारित किये गये तथा दिनांक 31.10.2023 को 18233 वाद निस्तारण हेतु लम्बित रहे।

11. प्रंपत्र संख्या 2 भाग 1 व 2 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इस न्यायालय मे दिनांक 01.11.2022 को 12342 पुलिस चालानी वाद लम्बित थे, दिनांक 31.10.2023 को कुल 11536 वाद इस न्यायालय में निस्तारण हेतु शेष रहे।

इसी प्रकार दिनांक 1.11.2022 को इस न्यायालय में 7113 परिवाद लम्बित थे, दिनांक 31.10.2023 को कुल 6697 परिवाद इस न्यायालय में निस्तारण हेतु अवशेष थे।

12. मैंने न्यायालय में लम्बित वाद संख्या 5135/9 सन् 2015 सरकार बनाम दिलशाद अन्तर्गत धारा 3/5क/8 गौ0वा अधि0. थाना छपार की पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 29.03.2022 को आरोप विरचित किया परन्तु अभियोजन प्रपत्रों पर अभियुक्त की ओर से स्वीकृति अथवा अभिस्वीकृति का पृष्ठांकन नहीं कराया गया है।

Sir, noted.

पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि व धारा 294 द.प्र.सं. का अनुपालन किया करें।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट नं० 1,
मुजफ्फरनगर

13ए. प्रपत्र संख्या 04ए के अवलोकन से विदित होता है कि इस न्यायालय में दिनांक 23.10.2023 से दिनांक 28.10.2023 तक 33 जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए हैं। जमानत प्रार्थना पत्र सं0 1768 वर्ष 2023 मु0अ0सं0 425/2023 उत्तर प्रदेश राज्य प्रति रोहित में अन्तर्गत धारा 379.411 भा0द0स0 थाना नई मण्डी जिला मु0नगर मे अभियुक्त रोहित के जमानत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया यह प्रार्थना पत्र दिनांक 26.10.2023 को प्रस्तुत किया गया इसमें अभियुक्त को न्यायालय के आदेश दिनांक 26.10.2023 के अनुसार अंकन 25,000/—रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि के दो जमानती दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किये जाने के आदेश पारित किये गये। अभियुक्त द्वारा दिनांक 30.10.2023 पर जमानतनामें प्रस्तुत करने के उपरान्त अभियुक्त का रिहाई परवाना जिला कारागार भेजा गया।

जमानत प्रार्थना पत्र सं0 1537 सन् 2023 मु0अ0सं0 569 सन् 2023 अन्तर्गत धारा 379/411 भा0द0सं0 थाना नई मण्डी में अभियुक्त समद के जमानत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया यह प्रार्थना पत्र दिनांक 27.10.2023 को प्रस्तुत किया गया गया जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2023 को ही सुनवाई के उपरान्त निरस्त किया गया। अभियुक्त आबिद के संम्बन्ध मे जमानत आदेश दिनांकित 27.10.2023 का आदेश प्रस्तुत किया गया। जिसमे अभियुक्त

समद को अंकन 30,000/-रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टी पर दाखिल करने के उपरान्त जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किये गये हैं। अभियुक्त द्वारा दिनांक 27.10.2023 को जमानत प्रपत्र न्यायालय में दाखिल किये गये। जो सत्यापन आख्या न्यायालय व तहसील के उपरान्त दिनांक 30.10.2023 को स्वीकृत किये गये।

इस सम्बन्ध में रिहाई आदेश जिला कारागार मे भेजे जाने से सम्बन्धित डाक वही का अवलोकन किया तो पाया कि अभियुक्त समद का रिहाई परवाना दिनांक 30.10.2023 को ही जिला कारागार मुजफ्फरनगर भेजा गया है, तथा जमानत आदेश की प्रविष्टि पंजिका सं0 12 ए में भी की गयी है।

निरीक्षण के दौरान मुझे अवगत कराया गया कि कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने के उपरान्त तथा जमानत प्रपत्र दाखिल करने के उपरान्त रिहाई परवाना जिला कारागार भेजे जाने हेतु अवशेष नही है।

13बी. 13सी. 13डी. लिपिक द्वारा अवगत कराया गया कि इस न्यायालय द्वारा जमानत कागजात प्रस्तुत करने के दिनांक को ही यदि जमानत धनराशि 25000/-रुपये तक की हो तो अधिवक्ता की शिनाख्त पर स्वीकार कर लिये जाते है तथा जिन में जमानत धनराशि 25,000/-रुपये से अधिक होती है उन्हे सत्यापन के उपरान्त स्वीकार किया जाता है।

लिपिक द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसा कोई वाद नहीं जिनमें जमानतनामें स्वीकार होने पर जमानतनामें स्वीकार होने की तिथि पर ही सम्बन्धित अभियुक्त का रिहाई आदेश जिला कारागार न भेजा गया हो।

निरीक्षण के दौरान मुझे अवगत कराया गया कि इस न्यायालय में उन अभियुक्तगण के जमानत नामे तहसील/थाने से सत्यापित कराये जाते है जिनकी जमानत के आदेश श्रीमान सत्र न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित किये जाते है तथा जिनकी जमानत धनराशि अंकन 25,000/-रूपये से अधिक होती है।

यह देखने के लिए कि जिन अभियुक्तगण के कागजात जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिये जाते है उनका रिहाई आदेश उसी दिन

जिला कारागार को भेज दिया जाता है अथवा नही पंजिका संख्या 12 ए एवं लिपिक द्वारा पोषित की जा रही जेल डाक बही का अवलोकन किया तो पाया कि रिहाई आदेश जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने के दिन ही जिला कारागार को भेज दिया जाता है।

13ई. पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि निरीक्षण वर्ष में उनके द्वारा किसी ऐसे अपराध में जो सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षीणय हो जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया गया।

14. दौरान निरीक्षणइस न्यायालय में प्राप्त प्रथम सूचनाओं का अवलोकन किया। सभी प्रथम सूचना रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षरित की गयी हैं एवं पंजिका में उनकी प्रविष्टी की जा रही है। लिपिक द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसी कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट लम्बित नहीं है जिसको पीठासीन अधिकारी द्वारा अवलोकित कराकर पंजिका में प्रविष्ट न किया गया हो।

15. यह देखने के लिये कि इस न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद में धारा 200 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक को अंकित किये जा रहे हैं अथवा नहीं। मेरे द्वारा कुछ पत्रावलियों का अवलोकन किया गया, जिनमें बयान अन्तर्गत धारा 200 द.प्र.सं. पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रथम तिथि पर किसी भी पत्रावली में बयान लेखबद्ध नही किये गये है।

Sir, noted.

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट नं० 1,
मुजफ्फरनगर

पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक को ही परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 अंकित किया करें।

16ए. अर्थदण्ड पंजिका मेरे समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि उक्त पंजिका में पीठासीन अधिकारी के द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि स्वंय अपने हस्तलेख में दर्शित किया गया है तथा उक्त सम्बन्ध में प्रमाण पत्र भी अपने हस्तलेख में दिया गया है।

Sir, noted.

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट
मुजफ्फरनगर

पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह अर्थदण्ड पंजिका में अंकित धनराशि के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र अपने हस्तलेख में दिया करें, ताकि

नियम 71, 79 व 82 सामान्य नियमावली (फौजदारी) का अनुपालन सुनिश्चित हो।

16बी. मेरे द्वारा न्यायालय में पोषित की जा रही रसीद बही के अवलोकन से विदित होता है कि इसमें कहीं–कहीं पर रसीद प्राप्ति के पूर्ण हस्ताक्षर नहीं कराये गये है, यह आपत्ति जनक है।

लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह रसीद उपलब्ध कराने के उपरान्त रसीद प्राप्ति के पूर्ण हस्ताक्षर कराया करे।

Sir, noted for future.

16सी. निरीक्षण के दौरान लिपिक द्वारा अवगत कराया गया कि जिन वादों में अभियुक्तगण जिला कारागार में निरूद्ध होते है उनके द्वारा जब कोई अर्थ दण्ड जमा किया जाता है तो उसकी रसीद की एक प्रति अधीक्षक जिला कारागार मुजफफरनगर को उसी दिन भेज दी जाती है।

16डी. यह सुनिश्चित करने के लिए जो अर्थदण्ड न्यायालय में जमा होता है उसको उसी कोषागार अथवा नजारत में जमा करा दिया जाता है अथवा नहीं मैंने न्यायालय में पोषित की जा रही रसीद बुक का अवलोकन किया जिसके अवलोकन से विदित होता है कि रसीद सं0 0148362 दिनांक 18.01.2024 को वाद संख्या 18448/9 सन् 2023 सरकार बनाम अय्यूब अन्तर्गत धारा मोटरयान अधिनियम भा0दं0सं0 में मुबलिग 250/–रूपये अर्थदण्ड प्राप्त हुआ जो उसी दिन दिनांक 18.01.2024 को नजारत अनुभाग मे कैशियर को प्राप्त कराये गये इसी कम में रसीद सं0 148380 दिनांक 05.02.2024 को वाद संख्या 825/2024 सरकार बनाम सुबेन्द्र में मुबलिग 5250/–रूपये अर्थदण्ड प्राप्त हुआ जो उसी दिन नजारत अनुभाग में कैशियर को प्राप्त कराये गये हैं। इस प्रकार नियम–76 सामान्य नियमावली का अनुपालन किया जा रहा है।

16 ई. 16एफ. 16जी. अर्थदण्ड पंजिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि निरीक्षण की दिनांक पर इस न्यायालय में अभियुक्तगण पर अधिरोपित मुबलिग 1,11,000/– रूपये की धनराशि वसुली हेतु शेष है जिसमें से मुबलिग 64,100/–रूपये के लिए अभियुक्तगण जिला कारागार में निरूद्ध हैं, मुबलिग 41,900/–रूपये की धनराशि की वसूली अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार

स्थगित है एंव 5000/– रूपये की धनराशि की बाबत अपील अवधि तक पीठासीन अधिकारी द्वारा समय प्रदान किया गया है।

लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि जिन वादों में अभियुक्त अर्थदण्ड के एवज में कारागार में निरूद्ध है उनके सम्बन्ध में जेल अधीक्षक से आख्या मंगायी जाए कि आदेशित अर्थदण्ड जमा ना करने के एवज में अभियुक्त आदेशित सजा भुगत चुका है अथवा नहीं। जिन वादों मे अर्थदण्ड धनराशि की वसुली अपीलीय न्यायालयों से स्थगित की गयी है उन वादों में स्थगन आदेश के सम्बन्ध मे अद्यतन जानकारी हेतु स्मृति पत्र भेजे जाएं तथा सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से पत्राचार द्वारा रिकवरी की अद्यतन स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त करें।

Sir, noted for future

16एच. दौरान निरीक्षण लिपिक द्वारा अवगत कराया गया है कि किसी वाद में किसी अभियुक्त पर अधिरोपित अर्थदण्ड की कोई धनराशि रेमिट नहीं की गयी है। तथा निरीक्षण की दिनांक पर ऐसी कोई धनराशि लम्बित नहीं है जिसको रिटन ऑफ किया जा सके।

फिर भी लिपिक कोई निर्देशित किया जाता है कि उन वादों में जिन में अभियुक्तगण जेल में निरूद्ध हों अथवा सजा काटकर बाहर आ चुके हों उनके सम्बन्ध में जेल अधीक्षक से पत्र व्यवहार करें जिससे की अर्थदण्ड पंजिका में उन वादों से सम्बन्धित अर्थदण्ड को रिटन ऑफ किया जा सके।

Sir, noted for future.

16आई. जिन वादों में अर्थदण्ड धनराशि जमा की जाती है उस धनराशि का सत्यापन प्रत्येक माह कोषागार से कराया जाता है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में अर्थदण्ड पंजिका का अवलोकन किया। अर्थदण्ड पंजिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि माह दिसम्बर 2023, माह जनवरी 2024 में जमा अर्थदण्ड की फ्लाई लीफ कोषागार से सत्यापित कराया जाकर पंजिका पर चस्पा की गयी है। इस प्रकार नियम–80 सामान्य नियमावली फौजदारी का अनुपालन किया जा रहा है।

16जे. निरीक्षण के दौरान मुन्सरीम/रीडर/लिपिक द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि निरीक्षण वर्ष में नियम–81 सामान्य नियमावली (फौजदारी)

के अंतर्गत फौजदारी रिफण्ड वाउचर तैयार करने हेतु कोई मामला नहीं आया है।

16के. अर्थदण्ड पंजिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस पंजिका में प्रत्येक माह अधिरोपित एवं जमा हुए व अवशेष अर्थदण्ड की बाबत जो प्रमाण पत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया जाता है, वह अपने हस्तलेख में पंजिका पर ही दिया गया है।

17ए. निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिनांक 01.01.2021 से मैन्युल पीठासीन अधिकारी की डायरी एवं कोर्ट डायरी के स्थान पर सी0आई0एस0 से प्रिंट कर ई–कोर्ट डायरी प्रयोग में लाई जा रही है। रीडर को यह निर्देशित किया जाता है कि कम्प्यूटराईज्ड कॉज लिस्ट की प्रतियों को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करे।

17बी. निरीक्षण के दौरान ई–कोर्ट डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि पुराने वादों की सुनवाई किये जाने हेतु पर्याप्त मात्रा में वाद नियत किये गये हैं तथा पुराने वादों के निस्तारण में रूचि ली गई है।

17सी. ई–कोर्ट डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि पुराने वादों को भी यथोचित ढंग से पर्याप्त मात्रा में नियत किया गया है।

17डी. ई–कोर्ट डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रत्येक तिथि पर पर्याप्त मात्रा में वाद नियत किये गये हैं।

17ई. पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अनावश्यक रूप से किसी भी वाद में स्थगन लेकर पुनः अग्रिम तिथि के लिये स्थगित नहीं किया जाता है।

17एफ. पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि न्यायालय में कार्यदिवस पर सामान्यतः तीन–चार गवाह साक्ष्य हेतु उपस्थित आते हैं। जिनका साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने का भरसक प्रयास किया जाता है। यदि समय अभाव होता है तो अगले दिन अथवा निकट की तिथि नियत करते हुए साक्ष्य लेखबद्ध किया जाता है।

17जी. पीठासीन अधिकारी/मुन्सरिम रीडर द्वारा अवगत कराया गया कि सप्ताह में 150 से 200 वाद अधिवक्तागण के व्यक्तिगत आधार पर स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने व पक्षकारों द्वारा अनापत्ति किये जाने के आधार पर स्थगित किये जाते हैं।

17एच. पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिन वादों में बहस पूर्ण रूप से सुन ली जाती है उनमें बहस सुनने के उपरान्त 14 दिन के अन्दर निर्णय/आदेश पारित कर दिया जाता है ऐसा कोई वाद नहीं है जिनमें बहस सुनने के उपरान्त 14 दिन के अन्दर आदेश पारित न किया गया हो।

17आई. पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वाद को अग्रिम नियत तिथि के लिए स्थगित किये जाने हेतु पक्षगण की ओर प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार/कारण आदेश पत्र स्पष्ट रूप से अंकित किया जाता है।

17जे. पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सामान्यतः 50 से 75 साक्षीयों को साक्ष्य हेतु न्यायालय में समन किया जाता है तथा सामान्यतः तीन–चार गवाह उपस्थित आते हैं। जिनका साक्ष्य अंकित कर लिया जाता है। तथा समय अभाव के कारण यदि किसी उपस्थित साक्षी का साक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता तब उसे अग्रिम तिथि को उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता है तथा किसी चक्षुदर्शी साक्षी को साक्ष्य से उन्मोचित नहीं किया जाता है।

17के. पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि लोक सेवक/पुलिस कर्मचारी के साक्ष्य हेतु उपस्थित न आने के कारण साक्ष्य हेतु वाद को अग्रिम तिथि के लिए स्थगित किया जाता है एवं उक्त लोक सेवक/कर्मचारीगण/साक्षीगण के विरूद्ध यथोचित आदेशिकाएं जारी करने हेतु आदेशित किया जाता है इस सन्दर्भ में मेरे द्वारा वाद संख्या 2023/9 सन् 2019 सरकार बनाम जमीला, अन्तर्गत धारा 498ए,, भा0दं0सं0. थाना नईमंडी एवं वाद संख्या 961/9 सन् 2013 सरकार बनाम ओमदत्त, अन्तर्गत धारा 279, 304ए, थाना नई मण्डी व वाद संख्या 1651/9 सन् 2009, सरकार बनाम सद्दू, अन्तर्गत धारा 323, 506 भा0दं0सं0 थाना छपार की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावलियों के अवलोकन से विदित होता है कि

अभियोजन साक्षीगण लोकसेवक/पुलिस कर्मचारीगण के नियत तिथि पर उपस्थित होने के लिए उनके विरूद्ध लगातार आदेशिकाएं जारी की जा रही हैं किन्तु तामील अथवा बिना तामीला आदेशिएं वापिस प्राप्त होकर पत्रावली पर नहीं रखी गई।पीठासीन अधिकारी द्वारा सम्बन्धित उच्चाधिकारीयों को पत्र लिखकर अवगत नहीं कराया गया है।

पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जिन वादों में साक्षीगण के विरूद्ध साक्ष्य हेतु समन जारी किये जाते हैं। यदि वह नियत तिथि को वापस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तब वह सम्बन्धित तामील कुनिदा के विरूद्ध उसके उच्च अधिकारीयों को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया करें।

Scrutinized.

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट नं0 1,
मुजफ्फरनगर

17एल. पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कार्यकाल में कोई ऐसा मामला नहीं आया जिनमें अभियोजन साक्षी साक्ष्य ऐतु न्यायालय में उपस्थित हो एवं अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित न हो।

17एम. पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्येक कार्य दिवस में साक्ष्य हेतु नियत वाद अधिकांश रूप से अभियोजन साक्षीगण के अनुपस्थित रहने के कारण ही अग्रिम तिथि के लिए स्थगित किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा न्यायालय में लम्बित वाद संख्या 8311/9 सन् 2023 सरकार बनाम विशाल, अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा0दं0सं0 थाना नईमंडी व वाद संख्या 3740/9 सन् 2016, शाबरा बनाम इस्लाम, अन्तर्गत धारा 498ए भा0द0सं0., थाना छपार व वाद संख्या 1271/9 सन् 2016 सरकार बनाम रिजवान , अन्तर्गत धारा 323, 504 भा0दं0सं0, थाना नईमण्डी आदि पत्रावलियों का अवलोकन किया जिनमें साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर अभियोजन पक्ष के साक्षीगण की अनुपस्थिति के कारण ही वाद साक्ष्य हेतु अग्रिम तिथि के लिए नियत किये गये हैं।

17एन . पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कार्यकाल में ऐसा कोई मामला नहीं आया जिसमें अभियोजन साक्षी के न्यायालय में उपस्थित होने पर साक्षी को परीक्षित किये बगैर समय अभाव या अन्य कारण से साक्षी को वापस किया गया हो।

17ओ. पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि साक्षीगण के उपस्थित न होने व पक्षकारों के स्थगन आधार पर ही सामान्यतः वाद अग्रिम तिथि के लिए स्थगित किये जाते हों।

प्रपत्र संख्या **03** के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 16.10.2023 से 21.10.2023 तक सप्ताह के मध्य नियत किये गये वादों का विस्तृत विवरण निम्न लिखित है।–

दिनांक 16.10.2023 को कुल 402 वाद नियत किये गये, जिनमें फौजदारी वाद संख्या 302 सन् 2021 सरकार बनाम इंद्रजीत में आरोप विरचित किया गया, वाद संख्या 214 सन् 2023, सरकार बनाम श्रीपाल, वाद संख्या 3302 सन् 2023 सरकार बनाम आबाद, वाद संख्या 3304 सन् 2023 सरकार बनाम रोहित, 3506 सन् 2023 सरकार बनाम शराफत की पत्रावली सेशन सुपुर्द की गयी। वाद संख्या 2023 सन् 2019 सरकार बनाम जमीला, वाद संख्या 961 सन् 2013, सरकार बनाम ओमपाल, वाद संख्या 3489 सन् 2017 सरकार बनाम महबूब, 3543 सन् 2011 सरकार बनाम लाल सिंह में बयान पी0डब्लू1 अंकित किए गए।

दिनांक 17.10.2023 को कुल 450 वाद नियत किये गये, वाद संख्या 597 सन् 2017, सरकार बनाम रफीक, वाद संख्या 371 सन् 2009 सरकार बनाम सुबोध में ब्यान पी0डब्लू0 1 व पी0डब्लू02 अंकित किये गये, परिवाद वाद संख्या–32514 सन् 2023 नरेन्द्र बनाम जितेन्द्र, परिवाद संख्या–3367 सन् 2021, मनोज बनाम दीपाली, परिवाद संख्या 7234 सन् 2023 प्रवीण बनाम नरेन्द्र, परिवाद संख्या–32513 सन् 2023 बिन्नू बनाम शिखर राज में बयान 200 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये, परिवाद संख्या–7229 सन् 2023 विपिन बनाम अर्जुन, परिवाद संख्या–10097 सन् 2022 सुबहान बनाम आस मौहम्मद में बयान सी0डब्लू0 1 व सी0डब्लू0 2 अंकित किये गये, वाद संख्या 8311 सन् 2023 सरकार बनाम विशाल में आरोप विरचित किया गया, वाद संख्या 2760 सन् 2022 सरकार बनाम शौकेन्द्र की पत्रावली सैशन सुपुर्द की गयी, वाद संख्या 8467 सन् 2023 सरकार बनाम जावेद की पत्रावली में निर्णय पारित कर अभियुक्तगण को दोष मुक्त किया गया, परिवाद संख्या 16677 सन्

2023 सचिन बनाम सुधीर के वाद अन्तर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 में निरस्त किये गये।

दिनांक 18.10.2023 को कुल 363 वाद नियत किये गये, परिवाद संख्या 18131 सन् 2023 सन्नो बनाम नाजिम, परिवाद संख्या 8473 सन् 2023 सलीम बनाम समीर में बयान सी0डब्लू0 1 व सी0डब्लू02 अंकित किये गये, वाद संख्या 1813 सन् 2011 सरकार बनाम गोपाल, वाद संख्या 456 सन् 2017 सरकार बनाम सुधीर वाद संख्या 381 सन् 2019 सरकार बनाम शुभम, वाद संख्या 1759 सन् 2016 सरकार बनाम महताब में ब्यान पी0डब्लू0 1 व पी0डब्लू02 अंकित किया गया। परिवाद संख्या 8917 सन् 2020 अरविंद बनाम कौशल की पत्रावली धारा 203 दं0प्र0सं0 में निरस्त की गयी। वाद संख्या 287 सन् 2011 सरकार बनाम मांगेराम में निर्णय पारित किया गया। वाद संख्या 6635 सन् 2023 सरकार बनाम असगर में ब्यान मुल्जिम अंकित किया गया।

दिनांक 19.10.2023 को कुल 449 वाद नियत किये गये। परिवाद संख्या 112 सन् 2019 संतराम बनाम अनिल, परिवाद संख्या 233 सन् 2019 कल्लू बनमा मंगता, परिवाद संख्या 2386 सन् 2018 सुनीता बनाम हिमांशु, परिवाद संख्या 2171 सन् 2017 शिवम बनाम दयाराम, परिवाद संख्या 35 सन् 2023 निर्भय बनाम जाकिर के वाद अन्तर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 में निरस्त किये गये,, वाद संख्या 14696 सन् 2022 सरकार बनाम अर्जुन वाद संख्या 16115 सन् 2022 सरकार बनाम जगराम में आरोप विरचित किया गया, वाद संख्या 2245 सन् 2021 सरकार बनाम शाहआलम, वाद सख्या 27936 सरकार बनाम अहतेशाम, वाद संख्या 27560 सन् 2022 सरकार बनाम सचिन, 12712 सन् 2022 सरकार बनाम आदिल, 6309 सन् 2022 सरकार बनाम आदिल, 3800 सन् 2022 सरकार बनाम आरिफ का वाद सैशन सुपुर्द किया गया। वाद संख्या 2156 सन् 2021 दीपक बनाम उदय, परिवाद संख्या 1854 सन् 2021 नीलम बनाम अर्जुन, परिवाद संख्या 7570 सन् 2023 दीपेश बनाम बाधवा में सी0डब्लू01 व सी0डब्लू02 अंकित किए गए। वाद संख्या 1759 सन् 2016 सरिता बनाम विकास, वाद संख्या 624 सन् 2023 में बयान पीडब्लू1 अंकित

किए गए। वाद संख्या 3222 सन् 2022 विनोद बनाम ब्रजवाला में बयान 200 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया।

दिनांक 20.10.2023 को कुल 494 वाद नियत किये गये, परिवाद संख्या 10128 सन् 2023 पंकज बनाम शिवकुमार, परिवाद संख्या 16264 सन् 2023 कृष्णपाल बनाम सोनिया में बयान अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया, वाद संख्या 566 सन् 2016 व वाद संख्या 1991 सन् 2016 सरकार बनाम शिवकुमार में बयान पी0डब्लू0 1 व पी0डब्लू02 अंकित किये गये, वाद संख्या संख्या 3740 सन् 2016 साबरा बनाम इस्लाम में आरोप विपचित किये गये। वादसंख्या 23813 भारती बनाम अंकित में बयान 244 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। वाद संख्या 122 सन् 2020 सरकार बनाम महेन्द्र में बयान 313 अंकित किया गया। परिवाद संख्या 7569 सन् 2023 देवेन्द्र बनाम जहीर, परिवाद संख्या 197 सन् 2019 राजवीर बनाम प्रमोद, परिवाद संख्या 5713 सन् 2023 चांद कौर बनाम अशोक, परिवाद संख्या 23303 सन् 2021 अनिल स्वरूप बनाम पीयूष, परिवाद संख्या 33977 गुडिया बनाम अनुराग में बयान सी0डब्लू01 व सी0डब्लू02 अंकित किया गया।

21.10.2023

दिनांक ~~21.01.2023~~ को कुल 246 वाद नियत किये गये, परिवाद संख्या 28169 सन् 2022 रहनुमा बनाम आसिफ, परिवाद संख्या 16021 सन् 2023 गोयल पेपर बनाम गोपीनाथ, परिवाद संख्या 31334 सन् 2023 रितिका बनाम रजदीप, परिवाद संख्या 19956 सन् 2023 दीपक बनाम सीमा, परिवाद संख्या 1322 सन् 2023 सुनीता बनाम प्रदीप, परिवाद संख्या 14640 सन् 2023 दीपक बनाम किरणपाल में बयान सी0डब्लू01 व सी0डब्लू02 व सी0डब्लू03 अंकित किए गए। परिवाद संख्या 2091 सन् 2018 रीना बनाम रामवीर में बयान 244 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। वाद संख्या 1271 सन् 2016 सरकार बनाम रिजवान, वादसंख्या 4801 सन् 2017 सरकार बनाम सत्तार में बयान पी0डब्लू01 व पी0डब्लू02 अंकित किए गए। वाद संख्या 1776 सन् 1999 सरकार बनाम जयकुमार धारा 7/ 16 पीएफ एक्ट थाना खतौली में निर्णय पारित किया गया। वाद संख्या 1642 सन् 2023 सरकार बनाम मैंसर्स किसान एलएम एक्ट थाना

नईमंडी में अर्थदंड से दंडित किया गया। वाद संख्या 1864 सन् 2011 सरकार बनाम सईद थाना छपार धारा 395 भा0द0सं0 का वाद सेशन सुपुर्द किया गया।

पीठासीन अधिकारी द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त सप्ताह के अन्दर प्रतिदिन काफी संख्या जमानत एंव रिमाण्ड व वाहन रिलीज प्रार्थना पत्रों का भी निस्तारण किया गया है।

पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अनावश्यक रूप से किसी वाद को अग्रिम तिथि के लिए स्थगित नहीं किया जाता है।

18. प्रपत्र संख्या 15 के अवलोकन से विदित होता है कि निरीक्षण वर्ष में पीठासीन अधिकारी श्री प्रशान्त कुमार द्वारा 34 वाद धारा 203 द.प्र.सं. के अन्तर्गत निस्तारित किये गये तथा 239 द.प्र.सं. व 227 द.प्र.सं. के अन्तर्गत कोई वाद निर्णित नहीं किया गया।

19. पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि निरिक्षण वर्ष में कोई वाद कम्पांउड नहीं किया गया है।

20. प्रपत्र संख्या 17 के अवलोकन से विदित है कि निरीक्षण वर्ष में धारा 3 व 4 यू0पी0 प्रथम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ किसी वाद में नहीं दिया गया है।

21. प्रपत्र संख्या 18 के अवलोकन से विदित है कि निरीक्षण वर्ष में दिनांक 01.11.2022 से दिनांक 31.10.2023 तक 85 वाद पीठासीन अधिकारी श्री प्रशान्त कुमार द्वारा संघर्षपूर्ण निस्तारित किये गये। तथा 83 वादों में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया। इस प्रकार निरीक्षण वर्ष में कुल निस्तारित संघर्षपूर्ण वादों में दोषमुक्ति का प्रतिशत 98 प्रतिशत रहा।

22 प्रारूप संख्या 02 भाग ए के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 01.11.2022 को इस न्यायालय में 2394 समरी वाद लम्बित थे दिनांक 31.10.2023 को 1391 वाद लम्बित हैं। जिनमें से निरीक्षण वर्ष में कुल 1003 समरी वादों का निस्तारण किया गया।

पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह समरी वादों का अधिकतम संख्या में निस्तारण करने का प्रयास करें।

Sir, noted.

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं0 1,
मुजफ्फरनगर

23. इस न्यायालय में पोषित की जा रही पंजिका सं0 5 का निरीक्षण किया गया। उक्त पंजिका दिनांक 08.12.2020 से प्रारम्भ की गयी है। इस पंजिका पर हैडिंग व लेबिल लगाये गये है। इस पंजिका में अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 13.02.2024 की क्रम सं0 279 पर फौजदारी वाद सं0 16685 सन् 2023 सरकार बनाम अफजाल आदि से सम्बन्धित है यह पत्रावली मेरे न्यायालय के कार्यालय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र सं0 617 सन् 2024 उस्मान प्रति उत्तर प्रदेश राज्य में दिनांक 14.02.2024 के लिए आहूत की गयी थी जिसे इस कार्यालय द्वारा दिनांक 13.02.2024 को ही उपलब्ध करा दी गयी है। पंजिका के अवलोकन से विदित होता है कि इसमें कालम संख्या 12 में पत्रावलियों की वापसी का दिनांक कहीं–कहीं अंकित नही किया गया है तथा कालम के अनुसार प्रविष्टि नही की जा रही है, यह आपत्तिजनक है।

Sir, noted for future.
(लिपिक)

लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वह पंजिका को पोषित करते समय कालम के अनुसार प्रविष्टिया किया करें तथा कालम संख्या 12 में भी पत्रावली वापसी का दिनांक अंकित किया करें।

24. पीठासीन अधिकारी द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि जिन वादों में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाता है उन वादों में निर्णय उपरान्त निर्णय की एक प्रति अविलम्ब एवं निशुल्क सिद्धदोष बंदी को प्राप्त कराई जाती है इस प्रकार सामान्य नियम–146 सामान्य नियमावली (फौजदारी) का अनुपालन किया जा रहा है।

25. मुन्सरीम/रीडर एवं लिपिक द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि पिछले एक वर्ष की अवधि के दौरान न्यायालय में लम्बित किसी भी वाद में किसी भी पक्ष को कोई मुआवजा दिये जाने का आदेश न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया है।

26. प्रपत्र संख्या 06 के अवलोकन से विदित होता है कि इस न्यायालय में 10 वाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्थगित हैं

उनके स्थगन आदेश के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी हेतु माननीय उच्च न्यायालय को स्मृति नहीं भेजे गये हैं।

लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्थगित चल रहे आदेशों के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी हेतु माननीय उच्च न्यायालय की सेवा में स्मृति पत्र प्रेषित करें एवं कम्प्यूटर सेक्शन से उक्त की बाबत स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त कर पत्रावली पर रखें।

27. प्रपत्र संख्या 07 के अवलोकन से विदित होता है कि इस न्यायालय में दिनांक 01.11.2021 से दिनांक 31.10.2022 तक 11 निरीक्षण प्रार्थना पत्र व 39 तलाश प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए तथा दिनांक 01.11.2022 से 31.10.2023 तक 12 निरीक्षण प्रार्थना पत्र व 42 तलाश प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। न्यायालय में लम्बित पत्रावलीयों के सापेक्ष उक्त संख्या अत्यधिक कम है।

Sir noted MR

Sir noted for future

लिपिक एवं मुन्सरिम/रीडर को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय में लम्बित किसी भी पत्रावली का निरीक्षण एवं जानकारी बिना प्रार्थना पत्र के किसी पक्ष को ना करायी जाए।

28. लिपिक द्वारा अवगत कराया गया कि मासिक, त्रैमासिक एवं अर्द्धवार्षिक विवरण प्रपत्र एवं अन्य विवरण प्रपत्र जो माननीय उच्च न्यायालय या मेरे द्वारा मंगाये जाते हैं, उनको समय से भेज दिया जाता है। उक्त विवरण प्रपत्र भेजे जान के संबधं में कोई विलंब नहीं किया जाता है।

29. मेरे द्वारा निम्नलिखित दाण्डिक वाद से सम्बंधित पत्रावलियों का अवलोकन किया गया

<u>वाद सख्या 2751/9 सन् 2016 सरकार बनाम अयूब आदि अंतर्गत धारा 420,406,504,506 भा0दं0सं0 थाना नई मण्डी मु0नगर</u>

इस न्यायालय मे लम्बित वाद सख्या 2751/9 सन् 2016 सरकार बनाम अयूब आदि अंतर्गत धारा 420,406,504,506 भा0दं0सं0 थाना नई मण्डी मु0नगर का अवलोकन किया। यह पत्रावली अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट कोर्ट सं0 01 के यहां दिनांक 15.10.2009 में पजींकत हुई। दिनाक 10.12.2009 को अभियुक्त द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। उसके उपरान्त अभियुक्तगणों को सत्र

न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया गया। दिनांक 27.07.2010 को यह पत्रावली अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट कोर्ट सं0 03 के यहां अतरित की गयी। दिनांक 17.03.2012 को अभियुक्तगण पर आरोप विरचित किये गये। पत्रावली वास्ते दिनांक 21.03.2012 नियत की गयी। दिनांक 21.03.2012 से दिनांक 12.02.2016 तक यह पत्रावली वास्ते साक्ष्य हेतू नियत रही एंव गवाहों के प्रोसेस जारी किये गये। इसी मध्य दिनांक 09.02.2016 को यह पत्रावली पुनः इस न्यायालय को अन्तरण द्वारा प्राप्त हुई। दिनांक 12.02.2016 से दिनांक 09.01.2019 तक यह पत्रावली वास्ते साक्ष्य हेतू नियत रही एंव गवाहों के प्रोसेस जारी किये गये। दिनांक 09.01.2019 में ब्यान पी0डब्लू 01 अंकित किया गया। पत्रावली वास्ते जिरह पी0डब्लू 01 हेतू दिनांक 17.01.2019 नियत की गयी। दिनांक 17.01.02019 से यह पत्रावली दिनांक 14.09.2021 तक जिरह पी0डब्लू 01 हेतू नियत रही। दिनांक 02.11.2021 को वादी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से क्रिमिनल मिसलिनियस अन्तर्गत धारा 482 सं. 5248/2019 रोहित बनाम सरकार आदि आदेश दिनाकित 08.02.2019 की प्रति वाद का निस्तारण 06 के अन्दर किये जाने के सम्बन्ध में दाखिल की गयी। पत्रावली वास्ते सुनवाई/जिरह पी0डब्लू 01 दिनांक 16.11.2021 हेतू नियत रही। दिनांक 16.11.2021 से दिनांक 10.02.2024 तक यह पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत रही। गवाहों के विरूद्ध इस मध्य जमानती अधिपत्र व गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किये गये है। अब इस पत्रावली में दिनांक 12.03.2024 साक्ष्य हेतू नियत है। नियत दिनांक हेतू गवाहों के अधिपत्र जारी किये गये है।

Sin. noted.

पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि उक्त पत्रावली का शीघ्रता शीघ्र से निस्तारण करे।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0 1, मुजफ्फरनगर

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली मे प्रपत्रो को सूचीबद्ध नहीं किया गया है तथा प्रार्थना पत्रो पर लगे टिकटो को निरस्त कर छिद्रित नही किया गया है। यह आपत्तिजनक है। प्रस्तुतकर्ता व लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वह तुरन्त सभी प्रार्थना पत्रों को सूचीबद्ध करें तथा प्रार्थना पत्रो पर लगे टिकटों को निरस्त कर छिद्रित करें।

<u>प्रकीर्ण वाद सं0 137 सन् 2016 नेहा प्रति सिद्वार्थ आदि अन्तर्गत धारा 12घरेलू हिंसा अधि0 थाना नई मण्डी</u>

इस न्यायालय ... सिद्वार्थ आदि अन्तर्गत धारा 12घरेलू हिंसा अधि0 ... अवलोकन किया। यह पत्रावली अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ... मुजफ्फरनगर के यहां दिनांक 27.10.2016 को पंजीकृत हुई। दिनांक 27.11.2016 से 21.03.2017 तक विपक्षीगण के नोटिस एंव जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहां से आख्या तलब की गयी। दिनांक 16.03.2017 को वादी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.03.2017 के अनुपालन में 01 वर्ष के अन्दर निस्तारित करने हेतू दाखिल किया गया पी0ओ0 महोदय के अवकाश पर होने के कारण प्रभारी अधिकारी द्वारा नियत दिनांक पर अवलोकन हेतू पी0ओ0 महोदय के समक्ष पेश हो। दिनांक 21.03.2017 को पी0ओ0 महोदय के अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पर दिनांक 28.03.2017 नियत की गयी। दिनांक 28.03.2017 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया एंव 13.04.2017 एंव 20.04.2017 के लिये विपक्षीगण के नोटिस जारी किये गये। दिनांक 20.04.2017 को तामील प्राप्त होने के कारण विपक्षीगण को आपत्ति दाखिल करने का एक अवसर दिया गया। पत्रावली वास्ते आपत्ति/सुनवाई दिनांक 28.04.2017 नियत की गयी। बादहू विपक्षी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत कार्यवाही स्थगित हेतू प्रस्तुत किया गया। दिनांक 28.04.2017 से दिनांक 01.06.2017 तक पत्रावली वास्ते आपत्ति/सुनवाई हेतू नियत रही। दिनांक 01.06.2017 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हेतू प्रस्तुत वाद को शीघ्र निस्तारण हेतू आदेशित किया गया है। विपक्षी को पर्याप्त अवसर देते हुये पत्रावली एकपक्षीय साक्ष्य हेतू 15.06.2017 नियत की गयी। दिनांक 15.06.2017 से दिनांक 06.07.2017 तक पत्रावली एकपक्षीय साक्ष्य हेतू नियत रही। इसी मध्य यह पत्रावली मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार से सिविल जज सी0डि0/एफ0टी0सी0 में अंतरित की गयी। दिनांक 06.07.2017 से 14.09.2017 तक एकपक्षीय साक्ष्य हेतू नियत रही। दिनांक 14.09.2017 को विपक्षीगण की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत एकपक्षीय कार्यवाही रिकाल हेतू पेश किया गया। पत्रावली वास्ते आपत्ति/ निस्तारण दिनांक 10.10.2017 नियत की गयी। दिनांक 10.10.2017 को प्रार्थना पत्र पर सुनकर वास्ते आदेश हेतू दिनांक 12.10.2017 नियत की गयी। दिनांक 12.10.2017 को विपक्षीगण का 1000 हर्जे पर प्रार्थना पर स्वीकार किया गया आदेश दिनांक 01.06.2017 अपास्त किया गया। पत्रावली वास्ते डब्लू0एस0 दिनांक

17.10.2017 को नियत की गयी। दिनांक 17.10.2017 से दिनांक 30.11.2017 तक डब्लू0एस0 हेतू नियत रही। दिनांक 30.11.2017 को ए0पी0डब्लू01 का ब्यान किया गया जिरह हेतू 07.12.2017 नियत की गयी। दिनांक 07.12.2017 को जिरह अंकित की गयी। दिनांक 07.12.2017 को शेष जिरह हेतू नियत की गयी। दिनांक 07.12.2017 से 08.05.2018 तक पत्रावली शेष जिरह ए0पी0डब्लू हेतू नियत रही। इसी मध्य यह पत्रावली अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 01 को अंतरण होकर प्राप्त हुयी। दिनांक 20.11.2018 पी0डब्लू 01 एंव वास्ते शेष जिरह हेतू दिनांक 04.12.2018 नियत की गयी। दिनांक 04.12.2018 से दिनांक 05.03.2019 तक पत्रावली जिरह हेतू नियत रही। दिनांक 05.03.2019 को जिरह पूर्ण की गयी वास्ते शेष साक्ष्य हेतू दिनांक 12.03.2019 नियत की गयी। दिनांक 12.03.2019 से 25.04.2019 तक शेष साक्ष्य हेतू नियत रही। दिनांक 25.04.2019 को पी0डब्लू0 01 को पुनः जिरह हेतू रिकॉल किया गया व पुनः जिरह हेतु नियत की गयी। दिनांक 25.04.2019 से दिनांक 04.02.2020 तक पत्रावली पुनः जिरह हेतू नियत रही। दिनांक 04.02.2020 को पी0डब्लू 01 अंकित किया गया वास्ते जिरह हेतू नियत दिनांक 11.02.2020 किया गया। दिनांक 11.02.2020 से 30.11.2021 तक पत्रावली वास्ते जिरह विपक्षी हेतू नियत रही। इसी मध्य दिंनाक 29.11.2021 को यह पत्रावली सिविल जज जू0डि0/एफ0टी0सी0 कोर्ट सं0 02 मे स्थानातरित की गयी। दिनांक 30.11.2021 से 08.03.2022 तक पत्रावली जिरह हेतू नियत रही। इसी मध्य उक्त पत्रावली दिनांक 08.03.2022 को पुनः इस न्यायालय को वापिस अन्तरण द्वारा प्राप्त हुयी। दिनांक 08.03.2022 से 05.08.2022 तक पत्रावली जिरह हेतू नियत रही। दिनांक 05.08.2022 को वादिया का जिरह का अवसर समाप्त किया गया। विपक्षीगण ने अन्य गवाही देने से मना किया वास्ते बहस दिनांक 18.08.2022 के लिये नियत की गयी। दिनांक 18.08.2022 से दिनांक 25.11.2022 तक पत्रावली वास्ते बहस नियत रही। दिनांक 25.11.2022 को वादिया द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत रिकाल आदेश दिनांक 05.08.2022 पेश होकर वास्ते आपत्ति/सुनवाई हेतू दिनांक 02.12.2022 नियत की गयी। दिनांक 02.12.2022 में प्रार्थनापत्र दिनांक 25.11.2022 के विरूद्ध आपत्ति दाखिल की गयी पत्रावली वास्ते सनवाई हेतु दिनांक 12.12.2022 नियत की गयी। दिनांक 12.12.2022 से दिनांक 09.01.2024 सुनवाई हेतू नियत रही। दिनांक 09.01.2024 को पक्षकार उपस्थित

आये। वादिया द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो स्वीकार कर पत्रावली में दिनांक 16.02.2024 नियत की गयी।

Sim noted.

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं० 1, मुजफ्फरनगर

पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उक्त पत्रावली का शीघ्रता शीघ्र से निस्तारण करे।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली में प्रपत्रो को सूचीबद्ध नहीं किया गया है तथा प्रार्थना पत्रो पर लगे टिकटो को निरस्त कर छिद्रित नही किया गया है। यह आपत्तिजनक है। प्रस्तुतकर्ता व लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वह तुरन्त सभी प्रार्थना पत्रों को सूचीबद्ध करें तथा प्रार्थना पत्रो पर लगे टिकटों को निरस्त कर छिद्रित करें।

<u>फौजदारी वाद सं0 1989/9 सन् 2013 उत्तर प्रदेश राज्य प्रति वेदप्रकाश अन्तर्गत धारा 279, 427 एवं 304ए भा0दंसं0 थाना छपार</u>

इस न्यायालय में लम्बित फौजदारी वाद सं0 1989/9 सन् 2013 उत्तर प्रदेश राज्य प्रति वेदप्रकाश अन्तर्गत धारा 279, 427, एवं 304 ए भा0दं0सं0 थाना छपार की पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 29.11.2013 को पंजीकृत की गयी। दिनांक 14.11.2014 को यह पत्रावली नकल विभाग से प्राप्त हुई और दिनांक 23.04.2015 के लिए अभियुक्तगण के विरूद्ध सम्मन जारी किए गए। दिनांक 23.04.2015 तक 22.07.2015 तक यह पत्रावली वास्ते आदेश नियत रहीं। दिनांक 22.07.2015 को अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 251 दं0प्र0सं0 के तहत ब्यान मुल्जिम अंकित किया गया है तथा साक्ष्य हेतु दिनांक 22.09.2015 नियत की गयी है। दिनांक 22.11.2021 को यह पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत की गयी। दिनांक 04.11.2022 को यह पत्रावली अपर सिविल जज जू0डि0 कोर्ट संख्या 8 के यहां अंकित की गयी। दिनांक 30.07.2022 को यह पत्रावली पुन इस न्यायालय को अंतरित की गयी। दिनांक 22.08.2022 से दिनांक 19.08.2023 तक साक्ष्य हेतु नियत रहीं है। दिनांक 19.08.2023 को साक्षीगण पी0डब्लू01 संदीप कुमार एवं पी0डब्लू02 देवेन्द्र कुमार के बयान अंकित की गयी तथा शेष साक्ष्य हेतु दिनांक 04.09.2023 नियत की गयी एवं गवाहान के बी0डब्लू0 जारी किए। दिनांक 04.09.2023 से दिनांक 02.01.2024 तक यह पत्रावली शेष साक्ष्य हेतु नियत की गयी। इस पत्रावली में दिनांक 21.03.2023 वास्ते शेष साक्ष्य नियत है।

पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि उक्त पत्रावली का शीघ्रता शीघ्र से निस्तारण करे।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली में प्रपत्रो को सूचीबद्ध नहीं किया गया है तथा प्रार्थना पत्रो पर लगे टिकटो को निरस्त कर छिद्रित नही किया गया है। यह आपत्तिजनक है। प्रस्तुतकर्ता व लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वह तुरन्त सभी प्रार्थना पत्रों को सूचीबद्ध करें तथा प्रार्थना पत्रो पर लगे टिकटों को निरस्त कर छिद्रित करें।

फौजदारी वाद सं0 16425 सन 2022, सरकार बनाम प्रवेश अन्तर्गत धारा–7/16 पी0एफ0 एक्ट

इस न्यायालय में लम्बित प्राचीनतम फौजदारी वाद सं0 16425 सन 2022, सरकार बनाम प्रवेश, अन्तर्गत धारा–7/16 पी0एफ0 एक्ट यह वाद दिनांक 31.03.1999 को दर्ज किया गया। दिनांक 14.10.1999 से यह पत्रावली दिनांक 02.04.2021 तक हाजिरी हेतु नियत रही। इस दौरान अभियुक्त के जमानती वारंट, गिरफ्तारी वारंट धारा 82 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही नियत की गयी। दिनांक 23.03.2021 को अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होकर अभियुक्त द्वारा वारंट निरस्त कराए गए। अब पत्रावली साक्ष्य 244 दं0प्र0सं0 हेतु नियत की गयी। दिनांक 02.04.2021 से दिनांक 20.09.2023 तक यह पत्रावली साक्ष्य 244 दं0प्र0सं0 हेतु नियत रही। दिनांक 20.09.2023 को अभियुक्त की ओर से प्रार्थना बाबत उन्मोचित हेतु पेश किया गया जिस पर अभियोजन पक्ष द्वारा आपत्ति की गयी तथा वास्ते साक्ष्य 244 दिनांक 06.10.2023 नियत की गयी एवं साक्षीगण के गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किए गए। दिनांक 06.10.2023 से दिनांक 14.02.2024 तक यह पत्रावली साक्ष्य 244 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। इस पत्रावली में दिनांक 26.02.2024 साक्ष्य 244 दं0प्र0सं0 हेतु नियत की गयी तथा साक्षीगण का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है।

पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि उक्त पत्रावली का शीघ्रता शीघ्र से निस्तारण करे।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली में प्रपत्रो को सूचीबद्ध नहीं किया गया है तथा प्रार्थना पत्रो पर लगे टिकटो को निरस्त कर छिद्रित नही किया गया है। यह आपत्तिजनक है। प्रस्तुतकर्ता व लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वह तुरन्त सभी प्रार्थना पत्रों को सूचीबद्ध करें तथा

प्रार्थना पत्रो पर लगे टिकटों को निरस्त कर छिद्रित करें।

<u>फौजदारी वाद 1271/9 सन् 2016 उत्तर प्रदेश राज्य प्रति रिजवान अन्तर्गत धारा 323, 504 एवं 506 भा0दं0सं0 थाना नईमंडी</u>

फौजदारी वाद 1271/9 सन् 2016 उत्तर प्रदेश राज्य प्रति रिजवान अन्तर्गत धारा 323, 504 एवं 506 भा0दं0सं0 थाना नईमंडी की पत्रावली का अवलोकन किया। यह पत्रावली अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या 03 मुजफ्फरनगर, के यहां दिनांक 08.07.2011 को पंजीकृत हुई। दिनांक 19.07.2012 को आरोप पत्र मय केस डायरी नकूलात तैयार होने के उपरान्त न्यायालय को प्राप्त हुई। दिनांक 27.08.2012 से दिनांक 04.03.2013 तक यह पत्रावली वास्ते हाजरी हेतु नियत रही। दिनांक 03.04.2013 को अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने के उपरांत अपने वारंट निरस्त कराये गय। यह पत्रावली हाजरी हेतु दिनांक 14.05.2013 नियत की गयी। दिनांक 14.05.2013 से दिनांक 16.11.2015 तक यह पत्रावली हाजिरी हेतु नियत रही। दिनांक 15.11.2015 का अवकाश रहने के कारण यह पत्रावली दिंनांक 16.11.2015 को यह पत्रावली इस न्यायालय को अंतरित द्वारा प्राप्त की गयी। दिनांक 22.10.2016 से दिनांक 22.05.2023 तक यह पत्रावली वास्ते आदेश नियत रही। इस मध्य अभियुक्तगण के सम्मन, जमानतीय वारंट एवं गैर जमानतीय वारंट जारी गए। दिनांक 22.06.2023 एवं 09.08.2023 को अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने वारंट निरस्त कराए गए। दिनांक 29.08.2023 को अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थित होने के उपरांत उन पर आरोप विरचित किया गया एवं साक्ष्य हेतु पत्रावली दिनांक 04.09.2023 नियत की गयी। दिनांक 04.09.2023 से 11.10.2023 तक यह पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत रही। दिनांक 11.10.2023 को पी0डब्लू01 नबाव का बयान अंकित किया गया। शेष साक्ष्य हेतु दिनांक 21.10.2023 नियत की गयी। दिनांक 21.10.2023 को पी0डब्लू02 गवाह शाहिद का बयान अंकित किया गया तथा शेष साक्ष्य हेतु दिनांक 17.11.2023 नियत की गयी। दिनांक 17.11.2023 से यह पत्रावली 06.02.2024 तक साक्ष्य हेतु नियत की गयी। अब इस पत्रावली में दिनांक 02.03.2024 वास्ते हाजिरी नियत है। अभियुक्त रिजवान की मृत्यु रिपोर्ट आख्या तलब की गयी है।

Sir, noted.

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट न.
मुजफ्फरनगर

पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि उक्त पत्रावली का शीघ्रता

शीघ्र से निस्तारण करे।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली में प्रपत्रो को सूचीबद्ध नहीं किया गया है तथा प्रार्थना पत्रो पर लगे टिकटो को निरस्त कर छिद्रित नही किया गया है। यह आपत्तिजनक है। प्रस्तुतकर्ता व लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वह तुरन्त सभी प्रार्थना पत्रों को सूचीबद्ध करें तथा प्रार्थना पत्रो पर लगे टिकटों को निरस्त कर छिद्रित करें।

30. लिपिक द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि पीरियोडिकल रिर्टन से सम्बन्धित सूची न्यायालय में तैयार नहीं की जा रही है। लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि सूची को तैयार कर अद्यतन स्थिति में रखें।

31ए. पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा रिमाण्ड उचित आधार पर ही प्रदान किये जाते हैं।

31बी. लिपिक द्वारा अवगत कराया गया कि विचाराधीन बंदियों से सम्बन्धित रिमाण्ड प्रपत्र न्यायालय में नियुक्त कोर्ट मुहर्रिर के पास रखे जाते हैं।

31सी. पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा इस न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान यथायोग्य एवं शुद्ध आरोप विचरित किये गये हैं।

31डी. पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा इस न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान यथायोग्य दण्ड आदेश पारित किये गये हैं।

32. वाद लिपिक द्वारा अवगत कराया गया कि न्यायालय द्वारा निर्णीत पत्रावलीयों को अभिलेखागार में दाखिल करने के लिए प्रत्येक माह की 24 तारीख नियत की गयी है। प्रपत्र संख्या 09ए के अनुसार कि माह नवम्बर का बस्ता नियत दिनांक 24.12.2022, माह दिसम्बर का बस्ता दिनांक 24.01.2023 को, माह जनवरी का बस्ता नियत दिनांक 24.02.2023 को दाखिल किया गया। इसी कम में माह फरवरी 2023 का बस्ता दिनांक 24.03.2023, माह मार्च 2023 की पत्रावलीयों का बस्ता दिनांक 24.04.2023, माह मई 2023 की पत्रावलीयों

का बस्ता दिनांक 24.06.2023 को अभिलेखागार में दाखिल किया गया है। माह जून का बस्ता दिनांक 25.07.2023 को अभिलेखागार में दाखिल किया गया है। माह जुलाई का बस्ता दिनांक 24.08.2023 को अभिलेखागार में दाखिल किया गया है। माह अगस्त का बस्ता दिनांक 24.09.2023 को अभिलेखागार में दाखिल किया गया है। माह सितम्बर का बस्ता दिनांक 24.10.2023 को अभिलेखागार में दाखिल किया गया है। माह अक्टूबर का बस्ता दिनांक 24.11.2023 को अभिलेखागार में दाखिल किया गया है। उक्त प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि लिपिक द्वारा निर्णीत अभिलेख का बस्ता समयावधि के अन्दर अभिलेखागार दाखिल में किया गया है। चालान बही का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि नियम–181 सामान्य नियमावली (दीवानी) में प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रशासनिक कार्यालय को प्रत्येक माह प्रेषित नहीं किया जा रहा है तथा उसकी प्रतिलिपि चालान बही पर चस्पा नहीं की गई है।

लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रशासनिक कार्यालय को प्रत्येक माह प्रमाण पत्र प्रेषित करें तथा उसकी एक प्रति चालान बही पर चस्पा करें।

St., noted for future.

दौरान निरीक्षण मेरे द्वारा न्यायालय के प्रबन्धक/प्रस्तुतकर्ता द्वारा पोषित की जा रही निम्नलिखित पंजिकाओं का अवलोकन किया गया।

उपस्थिति पंजिका :–

यह पंजिका दिनांक 01.01.2024 से प्रारम्भ की गयी है इस पंजिका पर हैडिग व लेबिल उचित प्रकार से लगाया गया है। इस न्यायालय एवं कार्यालय मे कार्यरत् सभी तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण कार्यालय में आने व जाने का समयअंकित कर अपनी उपस्थिति के लघु हस्ताक्षर करते है। परन्तु कहीं–कहीं किसी प्रविष्टि पर समय अंकित नहीं किया गया है। यह आपत्तिजनक है। भविष्य हेतु सभी प्रविष्टियों पर आने–जाने का समय अंकित करने का निर्देश दिया जाता है। इन प्रविष्टियों का मिलान आकस्मिक अवकाश पंजिका से करने पर सही पाया गया। उक्त पंजिका को प्रति सप्ताह पीठासीन अधिकारी के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

आकस्मिक अवकाश पंजिका :–

यह पंजिका दिनांक 01.01.2018 से प्रारम्भ की गयी है। इस पंजिका पर हैडिग व लेबिल उचित प्रकार से लगाया गया है। जब भी कोई तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आकस्मिक अवकाश पर जाता है तो उसकी प्रविष्टि इस पंजिका में की जाती है तथा प्रत्येक प्रविष्टि के सम्मुख पीठासीन अधिकारी केलघु हस्ताक्षर प्राप्त किये जाते है।

<u>साक्षीगण के साक्ष्य की प्रति उपलब्ध कराये जाने की पंजिकाः–</u>

यह पंजिका दिनांक 22.08.2023 से प्रारम्भ की गयी है। इस पंजिका पर हैडिग व लेबिल ठीक प्रकार से लगाये गये है। इस पंजिका में अन्तिम प्रविष्टि वाद संख्या 3166 सन् 2017 ए0एस0जे0 बनाम लिट्रा माउण्ट जी स्कूल से सम्बन्धित है, जिसमें साक्षी पी0डब्लू0 1 का बयान 6 पृष्ठ पर अंकित किया जाना दर्शाया गया है। इस पंजिका के अवलोकन से विदित होता है कि बयानों से प्राप्त धन राशि प्रायः उसी दिन या अगले कार्य दिवस को नजारत अनुभाग में कैशियर के पास जमा करा दी जाती है। इस पंजिका में दैनिक योग लगाये गये है, परन्तु साप्ताहिक, योग नही लगाया गया है, तथा अधिवक्तागण के पूर्ण हस्ताक्षर बयानों की प्रति प्राप्त करने की बाबत कही नही कराये गये है, यह आपत्ति जनक है।

प्रस्तुतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह तुरन्त साप्ताहिक योग लगाये तथा अधिवक्तागण को बयानों की नकल उपलब्ध कराते समय उनके नकल प्राप्ति के पूर्ण हस्ताक्षर उचित कालम में पंजिका में कराया करे।

निरीक्षण के दौरान मैने इस न्यायालय के प्रस्तुतकर्ता द्वारा पोषित की जा रही निम्न लिखित गार्ड फाईलों का अवलोकन किया :–

1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर के आदेशो की गार्ड फाईल।
2. जनपद न्यायाधीश मुजफफर नगर के आदेशों से सम्बन्धितगार्ड फाईल।
3. पीठासीन अधिकारी के आदेशो से सम्बन्धित गार्ड फाईल।
4. माननीय उच्च न्यायालय के सरकुलर लेटर से सम्बन्धित गार्ड फाईल।
5. निरीक्षण प्रपत्रो से सम्बन्धित गार्ड फाईल।
6. विविध प्रपत्रो से सम्बन्धित गार्ड फाईल।

उपरोक्त सभी गार्ड फाईलों से सम्बन्धित सभी कागजात ठीक प्रकार से

उक्त गार्ड फाईलों में सूचीबद्ध कर चस्पा नही किये गये है, यह आपत्ति जनक है।

प्रबन्धक/प्रस्तुतकर्ता को निर्देशित किया जाता है किवह तुरन्त सभी गार्ड फाईलों सम्बन्धित कागजात को सम्बन्धितगार्ड फाईल में चस्पा कर सूचीबद्ध करे।

Sir Noted Pshmf MR

निरीक्षण के दौरान मैने इस न्यायालय के लिपिकगण द्वारा पोषित की जा रही निम्न लिखित पंजिकाओं का अवलोकन किया:-

<u>पंजिका संख्या -18 (साक्षियों को यात्रा भत्ता व उपस्थिति प्रमाण प्रदान किये जाने की पंजिका):-</u>

यह पंजिका दिनांक 19.01.2001 से प्रारम्भ की गयी है यह पंजिका छपे हुए फार्म पर पोषित की जा रही है। इस पंजिका पर हैडिंग व लेबिल उचित प्रकार से लगाये गये है। इस पंजिका में अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 14.03.19 को फौजदारीवाद सं0 2880 सन् 2016 उत्तर प्रदेश राज्य प्रति सुशील आदि अन्तर्गत धारा 498, 323, 506 भा0द0सं0 3/4 डी0पी0एक्ट थाना महिला थाना में साक्षी एस0आई0 अजय कुमार अग्रवाल को साक्ष्य के उपरान्तप्रमाणपत्रप्रदान किया जाना दर्शाया गया है। साक्षी के प्रमाण पत्र प्राप्ति के हस्ताक्षर उचित कालम में कराये गये है।उसके उपरान्त इस पंजिका मे कोई प्रविष्टि नही की गई है।इस पंजिका मेंजिन साक्षीगण को प्रमाण पत्र प्रदान किये गये है उनकी प्रविष्टि लाल स्याही से तथा जिन साक्षीगण को यात्रा भत्ता प्रदान किया गया है उनकी प्रविष्टि नीली स्याही से की गयी है, तथा प्रत्येक प्रविष्टि के सम्मुख पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त किये गये है। पंजिका के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि इसमें कही कही प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने उपरान्त साक्षी के लघु हस्ताक्षर प्राप्त किये गये है।

Sir Noted Pshmf MR

प्रबन्धक/प्रस्तुतकर्ता व लिपिकगण को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त साक्षी के पूर्ण हस्ताक्षर उचित कालम में प्राप्त किया करे।

<u>पंजिका संख्या -12 (अन्तिम आख्या सम्बन्धित):-</u>

यह पंजिका दिनांक 01.01.2019 से प्रारम्भ की गयी है। इस पंजिका पर हैडिग व लेबिल उचित प्रकार से लगाये गये है। इस पंजिका मे अन्तिम प्रविष्टि दिनाक 17.01.24 की क्रम सं0 57/12 सन् 2024 पर अपराध सं0 298 सन् 2023 अंकित बनाम सचिन आदि, अन्तर्गत धारा 366 भा0द0सं0, थाना नईमण्डी, जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित है, उक्त पंजिका के अवलोकन से विदित होता है कि जो अन्तिम आख्या स्वीकार की गयी है उन्हे अभिलेखागार दाखिल करने का दिनांक अंकित नही किया गया है, यह आपत्ति जनक है।

लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वह अन्तिम रिपोर्ट स्वीकृत होने के उपरान्त अभिलेखागार दाखिल किये जाने का दिनांक उक्त पंजिका में अंकित किया करे।

<u>पंजिका संख्या –9 (दायरा फौजदारी वाद):–</u>

यह पंजिका दिनांक 01.01.2024 से प्रारम्भ की गयी है। यह पंजिका छपे हुए फार्म पर बनायी गयी है। इस पर हैडिंग व लेबल उचित प्रकार से लगाया गया है।इस पंजिका में अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 15.02.2024 को वाद सं0 2626/9 सन् 2024 सरकार बनाम अब्दुल समद, अन्तर्गत धारा मोटरयान अधिनियम, थाना यातायात पुलिस से सम्बन्धित है,इस पंजिका के अवलोकन से विदित होता है कि इसमे वाद के निर्णय के पश्चात उसके लम्बित रहने के दिनों की संख्या भी अंकित नही की गयी है यह आपत्ति जनक है।

लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वह इस पंजिका को पोषित करते समय वाद के निर्णय के पश्चात वाद केलम्बित रहने के दिनों की संख्या अंकित किया करे।

<u>पंजिका संख्या –45 (फैसला फौजदारी वाद):–</u>

यह पंजिका दिनांक 14.06.2022 से प्रारम्भ की गयी है। इस पंजिका पर हैडिग व लेबिल उचित प्रकार से लगाया गया है। इस पंजिका मे अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 31.01.2024 को क्रम सं0 59 फौजदारी परिवाद सं0 18858/9 सन् 2023 सरकार बनाम मनोज, अन्तर्गत धारा मोटरयान अधिनियम

थाना एआरटीओ जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित है।

इस पंजिका के अवलोकन से विदित होता है कि इसमे कालम के अनुसार प्रविष्टि नही की जा रही है, यह आपत्ति जनक है।

लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वह पंजिका को पोषित करते समय कालम के अनुसार प्रविष्टियां किया करे।

पंजिका संख्या 103 (स्याह रजिस्टर) :–

यह पंजिका दिनांक 01.01.2020 से प्रारम्भ की गयी है। इस पंजिका पर हैडिग व लेबिल उचित प्रकार से लगाया गया है। इस पंजिका में अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 13.02.2024 को फौजदारी वाद 4344 सन् 2017 सरकार बनाम अबरार से सम्बन्धित है। इस पंजिका में लाईन खींच कर कॉलम के अनुसार प्रविष्टि की जा रही है। इस पंजिका में दैनिक, साप्ताहिक, मासिक योग लगाये गये है किन्तु त्रैमासिक, अर्द्ध वार्षिक वार्षिक योग नही लगाये गये है, यह आपत्ति जनक है।

लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त पंजिका पर लाईन खीचवाकर कालम के अनुसार प्रविष्टि किया करें, तथा तुरन्त त्रैमासिक, अर्द्ध वार्षिक व वार्षिक योग लगाये।

पंजिका बाबत समन, वारंट एवं नोटिस (प्रोसेस पंजिका) :–

यह पंजिका दिनांक 09.01.2023 से प्रारम्भ है। इस पंजिका में हैडिंग व लेबिल लगा है। न्यायालय द्वारा जारी होने एवं बाद तामील वापस प्राप्त होने वाले समय, वारंट एवं नोटिस का इन्द्राज इस पंजिका में किया जाता है। इस पंजिका में अंकित इन्द्राज कम संख्या 1451 दिनांक 12.02.2024 दाण्डिक वाद संख्या 1853/9 2011 में अभियुक्त मिन्टू जारी गैर जमानती वारन्ट के सम्बन्ध में दर्ज है। रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रोसेस में क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई है, यह नहीं लिखा है। पंजिका में कॉलम के अनुसार प्रविष्टि भी नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस पंजिका में प्रोसेस में प्राप्त रिपोर्ट के विवरण भी रजिस्टर में अंकित किया करें तथा कॉलम के अनुसार पंजिका में प्रविष्टि किया करें।

पंजिका बाबत पहचान जामिनानः–

यह पंजिका दिनांक 24.05.2022 से प्रारम्भ है। इस पंजिका में जमानत आदेश होने के उपरांत जामिनान के प्रतिभू पत्र दाखिल करने के सम्बन्ध में जामिनान के विवरण का इन्द्राज किया जाता है। इस पंजिका में अन्तिम इन्द्राज दिनांक 14.02.2024 को दाण्डिक वाद संख्या 6864/9 सन् 2023 में अभियुक्ता श्रीमति शहनाज के जमानत आदेश के फलस्वरूप अभियुक्त की ओर से दाखिल जामिनान सुनील व अनुज के निवास स्थान, सम्पत्ति का विवरण, पहचान का विवरण, अधिवक्ता का नाम फोटो सहित अंकित हैं। परन्तु अधिवक्ता के पंजीयन संख्या व मोबाइल नम्बर को दर्ज नहीं किया गया है। इस पंजिका में निर्धारित कॉलम के अनुसार प्रविष्टि की जा रही है। यह पंजिका प्रत्येक माह पीठासीन अधिकारी के समक्ष अवलाकनार्थ प्रस्तुत नहीं की गयी है। लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह भविष्य में इस पंजिका में अधिवक्ता का नाम, पंजीयन संख्या व मोबाइल नम्बर दर्ज किया करें। इस पंजिका को जामिनान प्रपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उसी तिथि को अवलोकनार्थ पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया करें।

निरीक्षण के दौरान मैंने पाया की प्रबन्धक/प्रस्तुतकर्ता द्वारा नियम–16 भाग–1 सामान्य नियमावली दीवानी) में प्राविधानियत सूचनाएं न्यायालय कक्ष मे उचित प्रकार से टांगी गयी है तथा न्यायालय कक्ष के बाहर मुख्य द्वारा के पास लगे सूचनापट पर साप्ताहिक वादों की कम्पयूटराईज्ड सूची दिनांक 14.02.2024 से दिनांक 17.02.2024 की लगी हुई है उक्त सूची के अवलोकन से विदित होता है कि जो वाद शीघ्र की तिथि हेतु सप्ताह के मध्य नियत किये जाते हैं। उनके प्रविष्टि इस सूची में नहीं की गई यह आपत्तिजनक है

Sir Noted P... MR

प्रबन्धक/प्रस्तुतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि सप्ताह के मध्य नियत किये जाने वाले वादों की प्रविष्टी भी सूची में किया करें।

निरीक्षण के दौरान मुन्सरिम/रीडर व लिपिकगण द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि न्यायालय में लम्बित सभी वादों को सी.आई.एस. पर दर्ज किया गया है तथा प्रतिदिन स्थगित होने वाले वादों को प्रतिदिन अग्रिम तिथि हेतु अग्रसारित किया जा रहा है तथा जो वाद निर्णित होते हैं उनके पारित निर्णय/आदेशों को सी. आई.एस. पर अपलोड किया जा रहा है।

फिर भी मुन्सरिम/रीडर व लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय में लम्बित सभी वादों को पूर्ण ब्योरे के साथ फीडिंग, फारवर्डिंग व अपलोडिंग का कार्य पूर्ण रखें एवं पीठासीन अधिकारी से भी अपेक्षा की जाती है कि वह इस कार्य को अपनी निगरानी में कर्मचारीगण से कराते रहें।

निरीक्षण के दौरान पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनका अपने न्यायालय एवं कार्यालय पर प्रभावी नियन्त्रण है। वह अपने अधीनस्थ कर्मचारीगण के हस्तलेख एवम् कार्य से सन्तुष्ट है, तथा उन्हें किसी भी कर्मचारी से कोई शिकायत नही है।

दिनांकः– 15.02.2024

(बाबूराम)
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश/
पॉक्सो एक्ट, मुजफ्फरनगर।

इस निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन दो सप्ताह में किया जावे, तत्पश्चात एक प्रति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक निर्देश के लिए भेजी जावें।

दिनांकः– 15.02.2024

(बाबूराम)
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश/
पॉक्सो एक्ट, मुजफ्फरनगर।